

## कौटुम्बिक पेंशन के लिये आवेदन

(नियम - 3 देखिए)

प्रेषक :

..... पत्नी/पति श्री  
/भूतपूर्व सदस्य ..... राजस्थान विधान सभा

प्रेषित :

सचिव  
राजस्थान विधान सभा  
जयपुर।

विषय: राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन)  
अधिनियम 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी ।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन, मैं कौटुम्बिक पेंशन के लिये हकदार हूँ क्योंकि मेरा पति/पत्नि श्री/श्रीमती ..... वर्ष ..... से ..... तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं।

यह अनुरोध किया जाता है कि मुझे कौटुम्बिक पेंशन मंजूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये । मैं मेरी उक्त कौटुम्बिक पेंशन पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा ..... कोषागार/उप कोषागार ..... से लेना चाहता हूँ ।

मैं इसके साथ मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी / संसद / राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज सलंग्न करता हूँ :-

- (1) तीन नमूना हस्ताक्षर
- (2) तीन पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो

मेरा वर्तमान पता .....

.....

.....

.....

मेरा स्थायी पता .....

.....

.....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) मैं राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचित पद पर या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक पद पर कार्यरत नहीं हूँ ।
- (2) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा या संघ राज्य क्षेत्र या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विरचित दिल्ली महानगर परिषद का सदस्य नहीं हूँ।
- (3) मैं केन्द्र सरकार का या किसी राज्य सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन या इसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम का वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं हूँ या मैं /हम उक्त

सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से कोई पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार नहीं हूँ/हैं ।

(4) मैं ..... के पद पर या ..... के सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ या ..... के पद पर या .....में नियुक्त हूँ या कुल पारिश्रमिक के रूप में ₹ ..... प्रतिमाह प्राप्त करता हूँ ।

(5) पेंशन पाने वाले का पहचान चिन्ह।

(6) मैंने पुनर्विवाहित नहीं हूँ ।

(7) मैंने अन्य स्रोतों से ₹ ..... पेंशन/अन्य आय प्राप्त की है जो पेंशन/आय के रूप में ..... से प्राप्त की है ।

(8) मेरे पति/पत्नी ..... कभी भी लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं।

भवदीय  
(हस्ताक्षर)

स्पष्ट शब्दों में नाम .....

स्थान : .....

दिनांक : .....

### राजस्थान विधान सभा सचिवालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

निम्नलिखित कालावधियों के लिये राजस्थान विधान सभा का सदस्य रहा है /रही है: -

..... से ..... तक

..... से ..... तक

..... से ..... तक

..... से ..... तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

निम्नलिखित कालावधियों के लिये लोक सभा का सदस्य रहा है /रही है: -

..... से ..... तक

..... से ..... तक

..... से ..... तक

..... से ..... तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

निम्नलिखित कालावधियों के लिये राज्य सभा का सदस्य रहा है /रही है: -

..... से ..... तक

..... से ..... तक

..... से ..... तक

..... से ..... तक

सचिव  
राजस्थान विधान सभा

## राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर, दिनांक ..... 20.....

अगले आदेशों तक और प्रत्येक मास की समाप्ति पर श्री / श्रीमती .....  
..... को राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां  
और पेंशन) अधिनियम 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन रकम ₹ ..... का संदाय  
करे है और जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन संदेय  
कौटुम्बिक पेंशन की रकम ₹ .....

अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन प्राप्त  
पारिश्रमिक/कौटुम्बिक पेंशन रकम विकलन ₹ .....

कौटुम्बिक पेंशन की शुद्ध संदेय रकम ₹ .....

संदाय दिनांक ..... से दिनांक ..... तक होना चाहिये ।

(हस्ताक्षर)

सचिव,  
राजस्थान विधान सभा ।

**निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात ही संबंधित कोषाधिकारी पारिवारिक पेंशन  
का भुगतान करेंगे**

**प्रमाण – पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री .....

निवासी ..... आयु ..... वर्ष

स्व. श्री/श्रीमती ..... पूर्व विद्यायक की जीवित पत्नी/पति है।

श्री/श्रीमती ..... ने पुनर्विवाह नहीं किया है एवं

नियमानुसार राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन)

अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 4ग के तहत पेंशन प्राप्त करने की एक मात्र

अधिकारिणी/अधिकारी हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा इन्हें किसी अन्य स्रोत

से वेतन/पेंशन के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

पेंशन प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

श्री/श्रीमती .....

हस्ताक्षर प्रमाणित कर्ता

पूरा नाम मय सील

(राजपत्रित अधिकारी/वर्तमान प्रधान/

सरपंच/विद्यायक/सांसद)